छत्तीसगढ़ विधान सभा

जुलाई, 2012 सत्र

दैनिक कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 18 जुलाई, 2012 (आषाढ़ 27, 1934)

समय 11:00 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ लोक आयोग अधिनियम, 2002 (क्रमांक 30 सन् 2002) की धारा 11 की उपधारा (6) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ लोक आयोग का नवम् वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-2011 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री पुन्नूलाल मोहले, खाद्य मंत्री, कंपनी अधिनियम, 1956 (क्रमांक 1 सन् 1956) की धारा 619-ए की उपधारा (3) के पद (बी) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2009-2010 पटल पर रखेंगे.

(3) श्री अमर अग्रवाल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2008 (क्रमांक 21 सन् 2008) की धारा 31 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 21-16/2009/नौ/55, दिनांक 29 मई, 2012 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रायपुर के प्रथम परिनियम पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानआकर्षण

(1) सर्वश्री देवजी भाई पटेल, डॉ. शिवकुमार डहरिया, श्री मोहम्मद अकबर, सदस्य, राजधानी रायपुर में संचालित निजी स्कूलों द्वारा अनियमितता किये जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्रीमती पद्मा घनश्याम मनहर, सदस्य, सारंगढ़ विधान सभा क्षेत्रांतर्गत ग्राम दुलोपाली में रोजगार गारंटी योजना के तहत तालाब गहरीकरण एवं पचरी निर्माण कार्य में अनियमितता किये जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

(1) श्री राजू सिंह ठाकुर, सभापति, याचिका समिति का अष्टम् प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(2) श्री फूलचंद सिंह, सभापति, शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति का अष्टम् प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री परेश बागबाहरा, सदस्य, खल्लारी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत -

(i) ग्राम खेमड़ा में हाईस्कूल खोलने,

(ii) ग्राम सोरम में हाईस्कूल खोलने,

(iii) ग्राम हाथीबाहरा में हाईस्कूल खोलने,

(iv) ग्राम फिरगी में हाईस्कूल खोलने,

(v) ग्राम खोपली में हाईस्कूल खोलने,

(vi) ग्राम अरण्ड में हाईस्कूल खोलने,

(vii) ग्राम टेका में हाईस्कूल खोलने तथा

(viii) विकासखण्ड बागबाहरा में तेन्दूकोना एनीकट निर्माण करने,

(2) श्रीमती सरोजा मनहरण राठौर, सदस्य, सक्ती विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत -

(i) ग्राम देवरी में आदिवासी बालक छात्रावास स्वीकृत करने,

(ii) ग्राम महुदा (चाम्पा) में नलजल योजना स्वीकृत करने,

(iii) ग्राम कांदानारा में पूर्व माध्यमिक शाला में अहाता निर्माण करने,

(3) श्री फूलचंद सिंह, सदस्य, भरतपुर सोनहत विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत -

(i) ग्राम अमरा में प्राथमिक शाला का पूर्व माध्यमिक शाला में उन्नयन करने,

(ii) ग्राम अमरा में दुलही नदी (बघमंडा) में स्टापडेम निर्माण करने,

(iii) ग्राम बडगांवकला में कन्या छात्रावास खोलने,

(4) श्री बैदूराम कश्यप, सदस्य -

(i) विकासखण्ड दरभा अंतर्गत ग्राम नेगानार में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने,

(ii) विकासखण्ड बास्तानार अंतर्गत ग्राम बड़ेबोदेनार में हाईस्कूल खोलने,

(iii) विकासखण्ड बास्तानार अंतर्गत ग्राम टंगियाझोड़ी में संयुक्त आश्रम शाला खोलने,

(iv) विकासखण्ड तोकापाल अंतर्गत ग्राम सालेपाल में हाईस्कूल खोलने,

(v) विकासखण्ड तोकापाल अंतर्गत ग्राम बड़े मारेंगा के तेलीमारेंगा खंडियापाल मार्ग पर कोयर नाले पर पुल निर्माण करने,

(5) श्री हृदयराम राठिया, सदस्य, लैलूंगा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत -

(i) ग्राम मड़ियाकछार के तोकड़ा नाले पर स्टापडेम निर्माण करने,

(ii) ग्राम चोरंगा के बाकारूमा लैलूंगा रोड में नाले पर स्टामडेम निर्माण करने तथा

(iii) ग्राम तारागढ़ के मुख्य नाले पर स्टापडेम निर्माण करने

के संबंध में याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.

6. महामहिम राज्यपाल द्वारा लौटाये गये विधेयक पर विचार का प्रस्ताव

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, महामहिम राज्यपाल द्वारा सभा को संदेश के साथ पुनर्विचार हेतु प्रेषित छत्तीसगढ़ के निक्षेपकों के हितों का संरक्षण विधेयक,2005 (क्रमांक 28 सन् 2005) पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे.

क्रमशः......3

7. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री हेमचंद यादव, विधि औरविधायी कार्य मंत्री, छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण (संशोधन) विधेयक,2012 (क्रमांक 13 सन् 2012) के पुर:स्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

8. शासकीय विधि विषयक कार्य

निर्धारित समय

1 घंटा (1) श्री ननकीराम कंवर, सहकारिता मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि - छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक,2012 (क्रमांक 12 सन् 2012) पर विचार किया जाये.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये.

15 मिनट (2) श्री हेमचंद यादव, विधि औरविधायी कार्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि - छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण (संशोधन) विधेयक,2012 (क्रमांक 13 सन् 2012) पर विचार किया जाये.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये.

रायपुर
दिनांक 17 जुलाई,2012

देवेन्द्र वर्मा
सचिव.